



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: ३१३५

/ 12-1

दिनांक ०३ / ०४ / २०२१

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।


विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला धारपयांकोटी मोटरमार्ग के अंतिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनयानी होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटरमार्ग के निर्माण हेतु ०३.९७३७ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-(FP/UK/ROAD/42172/2019)

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक-०८बी/यू०सी०पी०/०६/३०/२०२१/एफ०सी०/२५२५ दिनांक २६-०३-२०२१ के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा विषयक मोटरमार्ग में इंगित बिन्दुओं का निराकरण कर प्रस्ताव ०५ प्रयितों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रस्ताव ससमय उच्च स्तर को अग्रसारित किया जा सकें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार :-


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- ३१३५ / १२-१ दिनांकित

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी, माणिकनाथ एवं कीर्तिनगर राजि को इस निर्देश के साथ कि विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

o/c

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/30/2021/एफ0 सी0/2525

दिनांक: 26/03/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला धारपयांकोटी मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु से स्यालसौंड पनयाली होते हुये बगतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.9737 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/42172/2019)

सन्दर्भ:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2246 /FP/UK/ROAD/42172/2019 दिनांक 27-02-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी हैं। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. On perusal of KML file of the proposed area, it has been noticed that villages are already connected with the existing road. State Government may submit the justification of the requirement of another road in hilly area fragmenting 3.0396 ha reserve forest area and 716 trees.
2. Detail of 716 trees is provided in the tree enumeration list submitted with the proposal but 473 trees detail is provided at para 4 in Part II. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.
3. Details of alternative alignment and the reason of rejecting the alternate is not provided. State Government may submit the same.
4. Comparative chart of the alternatives is not found submitted. State Government may submit the same.
5. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह alternatives का उचित परीक्षण कर पातन हेतु आवश्यक वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करें।


P.T.O

6. Following observations are noticed in the muck disposal plan. State Government may made necessary corrections and submit the correct information/ documents in this regard:

- (i) 43058 cum muck generation in 6 KM seem less calculated. State Government may review the same.
- (ii) Total calculation of muck generation and swell factor found incorrect. State Government may made necessary correction in this regard.
- (iii) Carrying capacity of each muck disposal site is not submitted. State Government may submit the same for each muck disposal site.
- (iv) Photograph and detailed plan is not found submitted. State Government may submit the same.
- (v) State Government is also requested to submit the reclamation plan.
- (vi) State Government is requested to mark the location of the muck disposal site on the KML file.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)